"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 115] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल 2010—चैत्र 19, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-15/2009/1-7.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-10-2009 द्वारा भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा के निर्माणाधीन पावर प्लांट की चिमनी ढहने की घटना की न्यायिक जांच हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संदीप बख्शी की सदस्यता में जांच आयोग का गठन तीन माह के लिये किया गया था, उसी अनुक्रम में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-1-2010 द्वारा आयोग के कार्यकाल में तीन माह के लिये वृद्धि की गई थी. चूंकि जांच प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, अत: राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 12-4-2010 से छ: माह की और वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.